गई परिसम्पत्तियों के अभिग्रहण के स्रोत की जांच-पड़ताल सहित आयकर अधिनियम के अन्तर्गत यथा उल्लिखित अनुवर्ती कार्यवाही की गई है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मण्डलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति

3509. श्री रामजी लाल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मण्डलों में पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्ति नियुक्त किए गए हैं,

(ख) इस संबंध में राज्यवार और श्रेणीवार ब्यौरा क्या है,

(ग) इन बैंकों में अध्यक्ष के पद पर इन श्रेणियों के कितने व्यक्तिनियुक्त किएगए हैं,

(घ) उक्त मण्डलों में उक्त श्रेणियों के कुल कितने पद स्वीकृत किए गए हैं और क्या 28 फरवरी, 1993 की स्थिति के अनुसार ये सभी पद भर दिए गए हैं,

(ङ) यदि हां, तो उनका बैंकवार ब्यौरा क्या है, और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और रिक्त पदों विशेषतौर पर पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित पदों को भरने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त संत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबदार अहमद)

(क) से (च) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 और और 1980 में 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशकमण्डल में प्रत्येक में एक-एक अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और 9 गैर सरकारी निदेशकों की नियुक्ति का प्रावधान है। राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मण्डलों में नियुक्तियां स्कीम में निर्धारित मानदण्डों और प्रक्रियाओं के अनुसार की जाती हैं। इन योजनाओं में अनुसूचितजातियों/अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को विशेष रूप से अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड गैर-सरकारी निदेशक नामित करने का प्रावधान नहीं है। तथापि, सरकार प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक के बोर्ड में कम से कम एक गैर-सरकारी निदेशक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का नियुक्त करने का प्रयास करती है। इस समय राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों में 7 गैर सरकारी निदेशक अ०जा०/अ०ज०जा० के हैं। इन निदेशकों के नाम उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम जहां के वे निवासी हैं और उन बैंकों के नाम जिनके बोर्डों में वे नियुक्त हैं इस प्रकार हैं:—

क्र० सं०	निदेशक का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बैंक का नाम
1.	श्री बाहुरा एक्का	बिहार	बैंक आफ बड़ौदा
2.	श्री आर० टी० रामवै	मेघालय	यूको बैंक
3.	श्रीमती मल्लाजामा	कर्नाटक	यूनियन बैंक आफ इंडिया
4.	श्री मदन वर्मा	दिल्ली	बैंक आफ महाराष्ट्र
5.	श्री राज कुमार नागरथ	उत्तर प्रदेश	आंध्रा बैंक
6.	श्री राजगुरू दयाराम तुलसीराम	महाराष्ट्र	कार्पोरेशन बैंक
7.	श्रीमती संतोष चौधरी	चंडीगढ़	पंजाब एंड सिंध बैंक

राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड निरंतर बने रहने वाले बोर्ड हैं और जब भी कोई रिक्त स्थान होता है तो उसे समय-समय पर भर लिया जाता है। इस समय 6 बैंकों में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकों का पद रिक्त है और 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों में गैर सरकारी निदेशकों के 88 पद रिक्त हैं। इसके अतिरिक्त इस समय पदासीन 92 गैर-सरकारी

निदेशकों का कार्यकाल भी पूरा हो गया है और उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति होने तक वे अपने पदों पर बने हुए हैं । सरकार ने अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकों तथा गैर-सरकारी निदेशकों के रिक्त पदों को भरने के लिए पहले ही आवश्यक कार्यवाई प्रारम्भ कर दी है ।

Smuggling of Arms Through Gujarat Sea Way

3510. SHRI MOHINDER SINGH LATHER : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the report appearing in Dainik Jagran of 12th January, 1993 regarding large scale/heavy smuggling of Deadly arms/weapons to India through Gujarat sea way by Pakistan;

(b) if so, what is the reaction of Government in this regard; and

(c) whether any action has been taken/proposed to be taken by Government to stop the smuggling of arms ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY) : (a) to (c) Available reports do not indicate such landings of firearms. Government have alerted the field formations and close coordination is being maintained among all the agencies concerned in the detection and prevention of such smuggling.

उपभोक्ता संरक्षण संगठनों से परामर्श

3511. श्रीमती सरला महेश्वरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आम उपभोक्ता की सभी वस्तुओं की नियंत्रित कीमतों पर कोई निर्णय लेने से पूर्व नीतिगत मामलों पर उपभोक्ता संरक्षण संगठन और सम्बन्धित विशेषज्ञों से परामर्श करती है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार को उपभोक्ता संरक्षण संगठनों से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) आम उपभोक्ता वस्तुओं के नियंत्रित मूल्य सम्बन्धित मंत्रालयों/उद्योगों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और उपभोक्ता संरक्षण संगठनों के साथ परामर्श करने का कोई प्रावधान नहीं है ।

(ग) इस मंत्रालय को, इस प्रकार के परामर्श के लिए किसी भी उपभोक्ता संरक्षण संगठन से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

Prevention of Smuggling Through West Coast

3512. SHRIMATI VEENA VERMA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether any special steps have been taken to prevent smuggling of arms and other contraband goods through Kutch frontier and the East Coast belt;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what is the number of persons apprehended and smuggled goods seized from them during 1990, 1991 and 1992 from these coastal frontiers ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY) : (a) and (b) The Customs formations are alert against the smuggling of contraband including arms. The anti-smuggling formations have been equipped with vehicles, vessels, firearms, etc. A telecommunication network has also been provided where considered necessary. Close coordination is being maintained among the agencies concerned in the detection and prevention of smuggling.